रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05122024-259171
CG-DL-E-05122024-259171

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4816] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 3, 2024/अग्रहायण 12, 1946
No. 4816] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 3, 2024/AGRAHAYANA 12, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2024

का.आ. 5209(अ).— केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से, तीन वर्ष की अवधि के लिए, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाले लक्षद्वीप तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, अर्थात् :--

1.	प्रशासक का सलाहकार, लक्षद्वीप प्रशासन संघ राज्यक्षेत्र	अध्यक्ष, पदेन ;
2.	सचिव, पर्यावरण और वन विभाग, लक्षद्वीप प्रशासन संघ राज्यक्षेत्र	सदस्य, पदेन;
3.	कलेक्टर, लक्षद्वीप प्रशासन संघ राज्यक्षेत्र	सदस्य, पदेन ;
4.	सचिव, शहरी विकास विभाग,	सदस्य, पदेन ;

	लक्षद्वीप प्रशासन संघ राज्यक्षेत्र	
5.	निदेशक, मत्स्य पालन विभाग, लक्षद्वीप प्रशासन संघ राज्यक्षेत्र	सदस्य, पदेन ;
6.	प्रो. रमेश रामचन्द्रन, सलाहकार, तमिल नाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, तमिल नाडु राज्य सरकार, चेन्नई (तमिल नाडु)	विशेषज्ञ सदस्य;
7.	डॉ. सी. रघुनाथन, अपर निदेशक, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, एम ब्लॉक, न्यू अलीपोर, कोलकत्ता-700053, पश्चिमी बंगाल	विशेषज्ञ सदस्य;
8.	सुगन्थी देवदासन सामुद्रिक अनुसंधान संस्थान , तूतिकोरीन, तमिल नाडु का एक प्रतिनिधि	सदस्य, गैर-सरकारी संगठन;
9.	सदस्य-सचिव, लक्षद्वीप प्रदूषण नियंत्रण समिति, लक्षद्वीप प्रशासन संघ राज्यक्षेत्र	सदस्य-सचिव, पदेन।

IndiaCode

2. प्राधिकरण का मुख्यालय कवरत्ती, लक्षद्वीप में होगा ।

3. प्राधिकरण की बैठक के लिए गणपूर्ति प्राधिकरण के कुल सदस्य संख्या के एक-तिहाई सदस्यों से होगी।

4. किसी पदेन सदस्य से भिन्न, किसी सदस्य को केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिश्चित किए गए निबंधनों और शर्तों के अनुसार भत्तों का संदाय किया जाएगा ।

5. हित के किसी टकराव से बचने के लिए, अध्यक्ष और सदस्य, किसी ऐसी परियोजना, जिसके लिए उन्होंने परामर्श कार्य संबंधी सेवा दी है, के मूल्यांकन की प्रक्रिया में, प्राधिकरण की बैठक से स्वयं को दूर रखेंगे।

6. प्राधिकरण, लक्षद्वीप प्रशासन संघ राज्यक्षेत्र में तटीय पर्यावरण की गुणवत्ता की संरक्षा और उसका सुधार करने के और पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने, उसका उपशमन करने तथा नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा, अर्थात् :-

(i) परियोजना प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए प्राप्त आवेदन की, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का. आ. 20(अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अधीन तैयार अनुमोदित एकीकृत द्वीपीय प्रबंधन प्लान के अनुसार, जांच करेगा और उक्त अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट, संबद्ध प्राधिकरण को ऐसी परियोजना के अनुमोदन के लिए सिफारिश करेगा ;

(ii) उक्त अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट तटीय विनियमन जोन में सभी विकासात्मक क्रियाकलापों को विनियमित करेगा ;

(iii) भारत के राजपत्र, सं0 4650(अ), तारीख 30 सितंबर, 2022 में प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट के अनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करेगा ;

(iv) उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करेगा ;

(v) उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करेगा ;

(vi) एकीकृत द्वीपीय प्रबंधन प्लान में परिवर्तन या उपांतरण के लिए लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा करेगा और केंद्रीय सरकार को, उन पर विनिर्दिष्ट सिफारिशें करेगा ;

(vii) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अभिकथित उल्लंघन के मामलों की जांच और पुनरीक्षा करेगा ;

(viii) प्राधिकरण, स्वप्रेरणा से या किसी व्यष्टि या निकाय या संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर, उक्त अधिसूचना के अतिक्रमण या उल्लंघन के मामलों की जांच या उनका पुनर्विलोकन करेगा ।

7. प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना के उपाबंधों को प्रवृत्त करने और उनको मानीटर करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

8. प्राधिकरण, अपने कार्यकरण में, पारदर्शिता बनाए रखने के प्रयोजन के लिए एक समर्पित वेबसाइट तैयार करेगा और अपने कृत्यों से संबंधित जानकारी इस पर डालेगा, जिसके अंतर्गत उसकी बैठक में कार्यसूची, बैठक का कार्यवृत्त, प्रत्येक बैठक में किए गए विनिश्चय, उक्त अधिसूचना के अतिक्रमण और उल्लंघन पर मामलों के लिए सिफ़ारिशें और ऐसे अतिक्रमण और उल्लंघन पर की गई कार्रवाई, न्यायालय मामले, जिनमें न्यायालयों के आदेश भी हैं, और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की अनुमोदित एकीकृत द्वीपीय प्रबंधन प्लान भी है ।

9. प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार को अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार प्रस्तुत करेगा ।

[फा. सं. 12-5/2005-आईए.।।।(भाग1)]

अमनदीप गर्ग, अपर सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

ORDER

New Delhi, the 3rd December, 2024

S.O. 5209(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes the Lakshadweep Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely:—

1.	Adviser to the Administrator, Union territory of Lakshadweep Administration	Chairman, *ex officio;*
2.	Secretary, Department of Environment and Forests, Union territory of Lakshadweep Administration	Member, ex officio;
3.	Collector, Union territory of Lakshadweep Administration	Member, ex officio;
4.	Secretary, Department of Urban Development, Union territory of Lakshadweep Administration	Member, *ex officio;*
5.	Director, Department of Fisheries, Union territory of Lakshadweep Administration	Member, *ex officio;*
6.	Prof. Ramesh Ramachandran, Advisor, Tamil Nadu Green Climate Company, Department of Environment and Climate	Expert Member;

	Change, State Government of Tamil Nadu, Chennai (Tamil Nadu).	
7.	Dr. C. Raghunathan, Additional Director, Zoological Survey of India M-Block, New Alipore Kolkata-700053, West Bengal	Expert Member;
8.	A representative of Suganthi Devadason Marine Research Institute, Tuticorin, Tamil Nadu	Member, Non-Government Organisation;
9.	Member Secretary, Lakshadweep Pollution Control Committee, Union territory of Lakshadweep Administration	Member Secretary, *ex officio;*

2. The Headquarter of the Authority shall be at Kavaratti, Lakshadweep.

3. The quorum for the meeting of the Authority shall be one-third of the total number of its Members of the Authority.

4. A Member, other than member *ex officio*, shall be paid allowances as per the terms and conditions decided by the Central Government in this behalf.

5. In order to avoid any conflict of interest, the Chairman and Member shall recuse himself from the meeting of the Authority, in the process of appraisal of any project, for which they have rendered consultancy service.

6. The Authority shall take following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the Union territory of Lakshadweep, namely: —

(i) examination of proposals received from the project proponent for approval of project proposal, in accordance with the approved Integrated Islands Management Plan prepared under the notification of the Government of India, number S.O.20 (E), dated the 6th January, 2011 (hereinafter referred to as the said notification), and make recommendation for approval of project to the concerned authority, as specified in the said notification;

(ii) regulate all developmental activities in the Coastal Regulation Zone areas as specified in the said notification;

(iii) issue directions under section 5 of the said Act, as specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change published in the Gazette of India, number S.O. 4650(E), dated the 30th September, 2022;

(iv) exercise powers under section 10 of the said Act;

(v) file complaint under section 19 of the said Act;

(vi) examination of proposals received from the Union territory of Lakshadweep for changes or modifications in the Integrated Islands Management Plan and make specific recommendations thereon, to the Central Government;

(vii) inquire and review the cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder; and

(viii) inquire and review the cases of violation or contravention of the said notification *suo-moto* or on the basis of a complaint made by any individual or body or organisation before it;

7. The Authority shall be responsible for enforcement and monitoring of the implementation of the provision of the said notification.

8. The Authority shall, for the purposes of maintaining transparency in its functioning, create a dedicated website and post the information relating to its functions, including the agenda in its meeting, minutes of the meeting, decision taken in the meeting, recommendation for matters on violation and contravention of the

said notification and action taken on such violation and court matter including the order of the court and the approved Integrated Islands Management Plan of the Union territory of Lakshadweep.

9. The Authority shall furnish report of its activity at least once in six months to the Central Government.

[F.No. 12-5/2005-IA.III (Part I)]

AMANDEEP GARG, Addl. Secy.

.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2024.12.05 14:45:21 +05'30'